

Email


राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.14(4)खान/ग्रुप-2/2014


जयपुर, दिनांक : 26 JUL 2016

आदेश

निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनिज डोलोमाइट ओवरबर्डन के निर्गमन की अनुमति दिये जाने हेतु जारी किया गया परिपत्र क्रमांक निखाभू/उदय/सीसी-3/एमएल/1/96/359 दिनांक 15.06.16 एतद्वारा निरस्त किया जाता है ।


(इकबाल)
संयुक्त शासन सचिव

✓ प्रतिलिपि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जायें एवं वेबसाइट पर अविलम्ब प्रदर्शित किया जायें । साथ ही निर्देश दिये जायें कि जो खनन पट्टे खनिज डोलोमाइट हेतु स्वीकृत नहीं है, उनमें खनिज डोलोमाइट के अवैध निर्गमन न हों तथा निर्माण सामग्री हेतु नियम 63ए के तहत जारी किये जाने वाले परमिट डोलोमाइट खनिज होने की स्थिति में जारी न होना सुनिश्चित करें ।


संयुक्त शासन सचिव